उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 9/2026/1288/94-2-2026-700(28)/2026
लखनऊ, दिनांक : 17 सितम्बर, 2026

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-दो में यथाउल्लिखित टैक्सफेड समूह के अधीन उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड/उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड/उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद पड़ी 10 कताई मिलों की भूमि के सम्बन्ध में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-तीन में यथाउल्लिखित क्षेत्रफल की सीमा तक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरण की लिखत पर संदेय **स्टाम्प शुल्क** से छूट प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	**कताई मिलों के नाम व संबंधित जिले**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**
एक	**दो**	**तीन**
1-	मऊआइमा, प्रयागराज। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	85.24
2-	महमूदाबाद, सीतापुर। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	71.02
3-	फतेहपुर। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	55.31
4-	बहादुरगंज, गाजीपुर। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	78.92
5-	कम्पिल फरूखाबाद। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	82.150
6-	बुलन्दशहर। (उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर)	78.56
7-	मेजा, प्रयागराज। (उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड)	175.00
8-	बांदा। (उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड)	90.00
9-	रसड़ा, बलिया। (उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड)	57.00
10-	नवाबगंज बाराबंकी। (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड)	69.860
		कुल-843.06 एकड़

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 9/2026/1288(1)/94-2-2026-700(28)/2026 दिनांक : 17 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 17 सितम्बर, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 9/2026/1288(2)/94-2-2026-700(28)/2026 दिनांक : 17 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
5- मण्डलायुक्त, अयोध्या/लखनऊ/प्रयागराज/आज़मगढ़/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/चित्रकूटधाम मंडल।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, प्रयागराज/सीतापुर/फतेहपुर/गाज़ीपुर/फरूखाबाद/बुलंदशहर/बांदा/बलिया/बाराबंकी।
7- उप महानिरीक्षक निबन्धन, अयोध्या/सीतापुर वृत्त सीतापुर/ लखनऊ/प्रयागराज/आज़मगढ़/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/चित्रकूटधाम मंडल।
8- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), प्रयागराज/सीतापुर/फतेहपुर/गाज़ीपुर/फरूखाबाद/बुलंदशहर/बांदा/बलिया/बाराबंकी।
9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज/सीतापुर/फतेहपुर/गाज़ीपुर/फरूखाबाद/बुलंदशहर/बांदा/बलिया/बाराबंकी।
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 9/2026/1288/94-2-2026-700(28)/2026, dated : 17 September, 2026:

Notification

Order

No. 9/2026/1288/94-2-2026-700(28)/2026
Lucknow, Dated : 17 September, 2026

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **stamp duty** payable on the instrument of conveyance in favour of Uttar Pradesh Industrial Development Authority relating to the land of 10 closed spinning mills of Uttar Pradesh State Spinning Company Limited/Uttar Pradesh State Yarn Company Limited/Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur under the TexFed Group, as mentioned in Column-II of the Schedule below, to the extent of the area as mentioned in Column-III thereof.

SCHEDULE

S. No.	Names of spinning mills and concerned districts	Area (in acres)
I	II	III
1.	Mau Aima, Prayagraj (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	85.24
2.	Mahmudabad, Sitapur (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	71.02
3.	Fatehpur (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	55.31
4.	Bahadurganj, Ghazipur (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	78.92
5.	Kampil, Farrukhabad (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	82.150
6.	Bulandshahr (Uttar Pradesh Sahakari Katayi Mills Sangh Limited Kanpur)	78.56
7.	Meja, Prayagraj (Uttar Pradesh State Yarn Company Limited)	175.00
8.	Banda (Uttar Pradesh State Yarn Company Limited)	90.00
9.	Rasara, Ballia (Uttar Pradesh State Yarn Company Limited)	57.00
10.	Nawabganj, Barabanki (Uttar Pradesh State Spinning Company Limited)	69.860
	Total	**843.06 acres**

By Order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।